संख्या-237/2026/1828/22-2-2024-17(732)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री रूपन लाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री रूपन लाल, ममरी, थाना-हैदराबाद, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 29.04.1997 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा व फावडा से मारकर सुरेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-702/1998 में भा०द०वि० की धारा-504, 506(2), 302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 24.03.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष, 01 माह, 08 दिन तथा 11 वर्ष, 10 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.08.2023 तक 68 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री रूपन लाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.08.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष, 01 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 10 माह 25 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, खीरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह (बन्दी संख्या-48557) पुत्र श्री रूपन लाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 237/2026/1828(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।